"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 381] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 22 जुलाई 2014 — आषाढ़ 31, शक 1936

### नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
### मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 जुलाई 2014

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-38/2013/18 .— छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 355 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिका कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1968 में निम्नलिखित और संशोधन करती है. यह अधिसूचना 31 अगस्त, 2013 से प्रवृत्त होगा, अर्थात् :-

### संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 23 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) में, अंक "60" के स्थान पर, अंक "62" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एम. एम. मिंज**, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 जुलाई 2014

क्रमांक एफ 4-38/2013/18 .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-38/2013/18 दिनांक 18-07-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एम. एम. मिंज**, उप-सचिव.

Raipur, the 18th July 2014

NOTIFICATION

No. F 4-38/2013/18.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 355 read with Section 95 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the state Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Municipal Employees (Recruitment and Conditions of Service) Rule, 1968. This notification shall come into force from 31st August, 2013, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

In clause (c) of sub-rule (1) of rule 23, for the figure "60" the figure "62" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. M. MINJ, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 18 जुलाई 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-38/2013/18.— छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 355 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 86 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिका सेवा (कार्यपालन) नियम, 1973 में निम्नलिखित और संशोधन करती है. यह अधिसूचना 31 अगस्त, 2013 से प्रवृत्त होगा, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 29 के परन्तुक में, अंक "60" के स्थान पर, अंक "62" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एम. एम. मिंज,** उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 जुलाई 2014

क्रमांक एफ 4-38/2013/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-38/2013/18 दिनांक 18-07-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एम. एम. मिंज,** उप-सचिव.

Raipur, the 18th July 2014

## NOTIFICATION

No. F 4-38/2013/18 .— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 355 read with Section 86 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the state Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Municipal Service (Executive) Rules, 1973. This notification shall come into force from 31st August, 2013, namely :-

## AMENDMENT

In the said rules,-

In proviso of rule 29, for the figure "60" the figure "62" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. M. MINJ, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 18 जुलाई 2014

## अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-38/2013/18 .— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 सहपठित धारा 58 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2007 में निम्नलिखित और संशोधन करती हैं. यह अधिसूचना 31 अगस्त, 2013 से प्रवृत्त होगा, अर्थात् :-

## संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 12 के खण्ड (ग) में, अंक "60" के स्थान पर, अंक "62" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एम. एम. मिंज**, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 जुलाई 2014

क्रमांक एफ 4-38/2013/18 .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-38/2013/18 दिनांक 18-07-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एम. एम. मिंज**, उप-सचिव.

Raipur, the 18th July 2014

NOTIFICATION

No. F 4-38/2013/18.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 355 read with Section 58 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the state Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Municipal Corporation (Appointment and Conditions of Service of Officers and Servants) Rule, 2007. This notification shall come into force from 31st August, 2013, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

In clause (c) of Rule 12, for the figure "60" the figure "62" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. M. MINJ, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.